प्रारूप संलग्नक – 1

TO BE NOTARIZED ON RS. 100/- NON JUDICIAL STAMP

अभ्यर्थी का शपथ प्रमाण–पत्र

1. अभ्यर्थी/छात्र का घोषणा पत्र मैं.....पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती.....ने रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। मै ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से संबंधित विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।
2. मैंने मुख्य रूप से विनियम 3 को पढ़ लिया है, समझ लिया है और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या मायने हैं ?
3. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है। अगर मैं किसी तरह की रैगिंग के लिये किसी को उकसाता/उकसाती हूँ या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता/लेती हूँ तो प्रशासन मेरे खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4. मैं निश्चय पूर्वक यह प्रयत्न करूंगा/करूंगी कि–
   (क) मैं किसी की रैगिंग, जो धारा 3 विनियम में उल्लेखित है, उसमें भाग नहीं लूँगा/लूँगी।
   (ख) मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लूँगा/लूँगी जो कि रैगिंग की धारा 3 विनियम के अंतर्गत आता हो।
5. मैं किसी भी प्रकार की रैगिंग में भाग नहीं लूँगा/लूँगी यथा किसी भी प्रकार से रैगिंग का प्रचार नहीं करूंगा/करूंगी।
6. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं, रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/गयी तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
7. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

स्थान.....दिन.....महीना.....वर्ष.....

(अभिसाक्षी के हस्ताक्षर)

(अभ्यर्थी / छात्र के हस्ताक्षर)

TO BE NOTARIZED ON RS. 100/- NON JUDICIAL STAMP

प्रारूप – 2

मध्यप्रदेश के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में
प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं के पिता/माता द्वारा दिया जाने वाला वचन–पत्र

1. पिता या माता.....विद्यार्थी का नाम.....
.....वर्ष ..... में माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान ग्वालियर संस्था की विवरण पत्रिका में समाविष्ट म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अध्यादेश के नियम 12 एवं 13 आचरण संहिता के निम्नांकित प्रावधान से पूर्णतः भिन्न हूँ।

1. कि छात्र संस्था में सदैव अच्छा व्यवहार करेगा, परिश्रमपूर्वक अध्ययन करेगा, शिष्टाचार तथा गरिमा बनाये रखेगा, सह पाठ्यचारी कार्यकलापों में समुचित रूप से भाग लेगा और संस्था के अनुशासन संबंधी नियमों का पालन करेगा।
2. विद्यार्थी के संस्थान के परिसर के भीतर या बाहर अनुशासन भंग करने का दोषी पाये जाने पर या दुराचरण का दोषी पाये जाने पर निदेशक अपराध के स्वरूप तथा गंभीरता के अनुसार आचरण संहिता में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार
   (क) विद्यार्थी को एक सप्ताह अवधि के लिये कक्षा में भाग लेने से निलंबित कर सकेंगे, या
   (ख) विद्यार्थी को संस्था से निकाल (एक्सपेल) सकेंगे, या
   (ग) विद्यार्थी को अगली परीक्षा में भाग लेने से अनर्हत घोषित कर सकेंगे या
   (घ) विद्यार्थी को निष्कासित (रेस्टीकेट) कर सकेंगे।
3. उपरोक्त के अतिरिक्त मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि विद्यार्थी ऐसी कोई गतिविधियां और संस्था के स्वच्छ वातावरण या अनुशासन को दूषित करें या संस्था में पाठन की व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करें, मैं भाग नहीं लेगा।
4. मैं स्वीकार करता हूं कि विद्यार्थी के संस्था में प्रवेशित रहने की अवधि में किसी भी समय, किसी भी कारण, संस्था निदेशक द्वारा बुलाये जाने पर जिसकी सूचना मुझे छात्र के माध्यम से सीधे प्राप्त होगी, मैं निर्दिष्ट अवधि में निदेशक के सम्मुख उपस्थित होउंगा तथा ऐसा न करने पर निदेशक को केवल इस आधार पर कि मैं उनके समक्ष निश्चित अवधि में उपस्थित नहीं हुआ, यह अधिकार होगा कि वे विद्यार्थी को निलंबित कर सके या उनका प्रवेश निरस्त कर सकें।
5. मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि अध्ययनकाल में छात्र के एक संस्था से दूसरी संस्था में योग्यता व अन्य कारणों से प्रवेश या स्थानान्तरण की स्थिति में यह वचनपत्र पूर्व की संस्था द्वारा स्थानांतरण की संस्था को भेजा जा सकेगा या दूसरी संस्था में जो लागू न हो उसे काट दें।

पिता/माता के हस्ताक्षर जो संस्था में सक्षम अधिकारी के समक्ष करना है।

स्थान : ..... मोबा. नं. .....

दिनांक : .....

पूरा नाम : .....

स्थाई पता : .....

टीप : पिता या माता के जीवित न होने पर ही अभिभावक के हस्ताक्षर मान्य होंगे, जिसका प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।